

अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- राजाखेडा

भूरीसिंह

बनाम

मन्नू वगै०

फिरम मुकदमा:- दावा U/S 53,188 R.T.Act. नम्बर..... 47 सन् 23

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुए
05.06.2023	दावा बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11.07.2023 को पेश हो। →	
27.06.2023	वादी के प्रार्थना पत्र पर फावली इफ्तर से तलब की गई। वादी के जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए जाने का पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया कि हम जसकारानों के मध्य लोक अदालत की भावना से समझौता हो गया है। प्रकरण का कन्टेस्ट (contest) नहीं करना चाहते। हमारा वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे। हमने वादी के इससे अधिवक्ता को बुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के स्वयं प्रार्थना पत्र पेश कर अपने वाद का इनीस्वा	मुद्रावली

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत _____ मुकाम _____

_____ बनाम _____

किस्म मुकदमा _____ नं. _____ सन् _____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	<p>पर खारिज कराना चाहता हूँ। अतः बाड़ी का वाड पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता हूँ फलवली केसल शुभान होकर डाकिल उत्तर है।</p>	